B.A II Hons. Pol. Sc.

संविधान सभा एवं भारतीय राजनीति की उपलब्धि

भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 ई० को भारत आया, और भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि 292 तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो।

संविधान सभा — 'संविधान सभा' शब्द लोकतांत्रिक देशों की देन है। लोकतंत्र में ही संविधान का महत्व होता है और उसका निर्माण एक संस्था द्वारा किया जाता है।

संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक देश ब्रिटेन था। ब्रिटेन के हेनरीमेन ने संविधान सभा के सिद्धान्त को जन्म दिया। इसके सबसे पहले फ्रांस तथा अमेरिका ने अपनाया। भारत में भी संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान

Scanned with CamScanner

सभा की परिभाषा - एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज ने निम्न प्रकार की है —
"यह एक ऐसी प्रतिनिधि सभा होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिये चुना जाय।"

कैबिनेट मिशन योजना -
कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसने भारत का भावी संविधान बनाने के लिए निम्न संस्तुतियाँ की —

(i) इस योजना के अनुसार संविधान सभा को संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत यह संविधान सभा प्रभुसत्ताधारी थी। ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस संविधान सभा द्वारा बनाये हुए संविधान को वह लागू करेगी और भारत को सारी शक्तियाँ दे देगी।
(ii) संविधान सभा में प्रान्तों के

प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जायेगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा।

(iii) प्रान्तों में विभिन्न जातियों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधि नियुक्त किये जाये।

(iv) प्रान्तों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी विधानसभाएँ करेंगी और राज्यों के प्रतिनिधियों के चयन की प्रणाली वार्ता द्वारा तय कर ली जायेगी।

(v) प्रान्तों के लिए अलग - अलग संविधान बनाने की भी व्यवस्था की गयी।

इस योजना में सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रान्तों को अलग - अलग संविधान बनाने की आज्ञा दे दी गयी थी पहले प्रान्तों को अपना संविधान बनाना था और बाद में संघ का इस वजह से हमारे भारत वर्ष में एक ही प्रकार की शासन पद्धति की स्थापना नहीं हो सकती थी। अतः संविधान निर्माताओं ने अलग संविधान बनाने की बात को स्वीकार नहीं किया।

[signature]